"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2025 — वैशाख 5, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS-1105/1/2025-COMM. & INDUS.— राज्य शासन, एतद्द्वारा औद्योगिक विकास नीति 2024–30 की कंडिका (12.5) के कमांक 3 के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार नियम निर्मित करता है, अर्थात्–

नियम

1. नाम एवं विस्तार –
(1) ये नियम **छत्तीसगढ ब्याज अनुदान नियम, 2024** कहे जावेंगे।
(2) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होंगे।

2. प्रभावी दिनांक –
ये नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

3. परिभाषाएँ –
(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत हो, इन नियमों में, –
(क) **नीति** से अभिप्रेत है, औद्योगिक विकास नीति 2024–30।
(2) अन्य प्रयुक्त शब्दों हेतु वही परिभाषाएं लागू होंगी जो नीति के परिशिष्ट–1 में उल्लेखित हैं।

4. परिचय–

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों/सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु औद्योगिक इकाईयों द्वारा बैंक/वित्तीय संस्था से प्राप्त सावधि ऋण पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति किये जाने तथा विशिष्ट उत्पाद श्रेणी अंतर्गत अध्याय स–1, 2 एवं 3 में वर्णित उद्यमों में जल पुनर्चक्रीकरण/हार्वेस्टिंग एवं शून्य निस्सरण की तकनीक की स्थापना पर पर्यावरण संरक्षण अधोसंरचना विकास पर लिए जाने वाले ऋण पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति जीरो वेस्ट इंसेंटिव के रूप में किये जाने ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है।

यह नियम औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत मान्य पात्र उद्योगों की नवीन स्थापना, विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण (डायवर्सीफिकेशन), प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण तथा सेवा उद्यमों से संबंधित गतिविधियों पर लागू होगा।

5. पात्रता–

(1) नीति की कालावधि में पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग/सेवा उद्यमों (परिशिष्ट–3 में दर्शाये गये अपात्र उद्यमों एवं परिशिष्ट–5 में दर्शाये गये कोर सेक्टर उद्योगों को छोड़कर) की नवीन स्थापना तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण तथा विशिष्ट उत्पाद श्रेणी अंतर्गत पात्र वृहद उद्यमों द्वारा जल पुनर्चक्रीकरण/हार्वेस्टिंग एवं शून्य निस्सरण की तकनीक की स्थापना

हेतु स्वीकृत एवं वितरित सावधि ऋण (Term Loan) (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) पर संबंधित वित्त पोषक संस्था/बैंक को भुगतान किये गये ब्याज के विरूद्ध ब्याज अनुदान/जीरो वेस्ट इंसेंटिव की पात्रता होगी।

(2) नीति के परिशिष्ट–6 में वर्णित पात्र सूचीबद्व सेवा श्रेणी उद्यमों/गतिविधियों को नियमानुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी। इस हेतु सेवा उद्यमों की स्थापना वाणिज्यिक/औद्योगिक व्यपवर्तित भूमि पर अथवा संबंधित सेवा हेतु व्यपवर्तित भूमि पर किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) उद्यम में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 05 वर्ष अथवा अंतिम अनुदान स्वीकृति दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो, तक उत्पादनरत रहते हुए नीति में प्रावधानित अनुसार राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराना होगा।

(4) राज्य शासन की किसी पूर्ववर्ती औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योग, जो 31 अक्टूबर 2024 तक की स्थिति में विद्यमान रहा है व नीति में अपात्र उद्योग श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है, ऐसे विद्यमान उद्योगों को विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण पर अनुदान की पात्रता होगी।

(5) ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि में यदि किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा पूर्व बैंक/वित्तीय संस्था से जिसने पूर्व में ऋण स्वीकृत व वितरित किया था, से ऋण अधिग्रहित (Loan Take Over) किया जाता है तो ऐसी दशा में भी ब्याज अनुदान की पात्रता इकाई की मूल पात्रता अवधि तथा मूल ऋण की मात्रा तक होगी अर्थात अतिरिक्त सावधि ऋण पर इन नियमों के अंतर्गत पात्रता नहीं होगी। इस आशय का प्रमाणन ऋण अधिग्रहणकर्ता बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा किया जावेगा।

(6) ब्याज अनुदान का प्रथम दावा पात्र औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक/इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ऋण वितरण के प्रथम दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से 18 माह के भीतर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आगामी दावा केवल छः माही आधार पर अगले छः माह के भीतर संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित कालावधि के पश्चात प्रस्तुत किये गये दावा स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

यहां प्रथम दावा से तात्पर्य है, ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ होने के दिनांक अथवा इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, की तिथि को चल रहे वित्तीय वर्ष की अवधि में 30 सितम्बर तक अथवा 31 मार्च तक, जो पहले हो, की अवधि के लिये प्रस्तुत दावा।

(7) भारत शासन/राज्य शासन की अन्य नीतियों/नियमों में ब्याज अनुदान की मात्रा में भिन्नता होने पर अंतर के अनुदान की पात्रता होगी।

6. अनुदान की मात्रा –

(1) पात्र औद्योगिक इकाईयों द्वारा सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज पर नीति में प्रावधानित अनुसार क्षेत्रवार/श्रेणीवार ब्याज अनुदान दिया जावेगा।

(2) विशिष्ट उत्पाद श्रेणी अंतर्गत पात्र वृहद उद्यमों द्वारा जल पुनर्चक्रीकरण/हार्वेस्टिंग एवं शून्य निस्सरण की तकनीक की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण अधोसंरचना विकास हेतु लिए जाने वाले सावधि ऋण पर नीति के अध्याय स–1, स–2 एवं स–3 के प्रावधानानुसार जीरो वेस्ट इंसेंटिव अंतर्गत ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

(3) यदि किसी उद्यम को सामान्य श्रेणी अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है एवं अधिकतम सीमा राशि रू. 25 लाख वार्षिक है, तब आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी को छोड़कर) के उद्यमी को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान अर्थात 55 प्रतिशत तथा अनुदान की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत अधिक अर्थात राशि रू. 27.50 लाख होगी।

(4) नीति की कालावधि में स्थापित नवीन औद्योगिक इकाईयों को उनके उद्यम में उत्पादन प्रारंभ करने एवं सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरांत, उसी नवीन उद्यम में विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण करने हेतु किये गये निवेश के आधार पर इन नियमों में घोषित उद्यम के वर्गवार व क्षेत्रवार अधिकतम सीमा के अधीन ब्याज अनुदान की पात्रता होगी एवं इसके लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार अतिरिक्त निवेश, रोजगार तथा उत्पादन संबंधी शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

(5) पात्र विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण के प्रकरणों में अनुदान की मात्रा प्रतिस्थापित मशीनरी हेतु लिये गये सावधि ऋण पर नीति में वर्णित अनुसार प्राप्त होगी। (उदाहरणार्थः– यदि इकाई द्वारा प्रतिस्थापन अंतर्गत कुल राशि रू. 100.00 लाख का स्थायी पूंजी निवेश किया जाता है तो इकाई को समस्त अनुदान/प्रतिपूर्ति को मिलाकर नियमानुसार अधिकतम सीमा कुल स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत अर्थात राशि रू. 50.00 लाख तक होगी)

(6) अनुदान की गणना अवधि नवीन उद्यमों की स्थापना, विद्यमान उद्यमों के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाओं पर स्वीकृत सावधि ऋण के प्रथम ऋण वितरण दिनांक से प्रारंभ होगी।

(7) पूर्ण वर्ष का दावा नियमानुसार किये जाने पर ही वार्षिक अधिकतम सीमा तक अनुदान की पात्रता होगी, एक वर्ष से न्यून दावों के निराकरण हेतु वार्षिक अधिकतम सीमा को तदनुसार विभाजित कर अनुदान स्वीकृत किया जावेगा।

(8) अनुदान केवल ब्याज की मूल देय राशि के भुगतान के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क, शास्ति या अन्य किसी अतिरिक्त देय राशि पर इस नियम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त नहीं होगा। कालांतर में मूल ऋण के अतिरिक्त लिये गये ऋण पर भी ब्याज अनुदान देय नहीं होगा।

(9) यदि अनुदान की कोई कालावधि छः मास में समय पर ब्याज या मूलधन की किश्त जमा न करने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त पोषित संस्था/बैंक द्वारा ऋण न चुकाने वाला (Defaulter) माना जाता है तो उसे उस दावा अवधि का ब्याज अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी कालावधि में एक बार ऋण न चुकाने वाला (Defaulter) हो जाने पर उस कालावधि की ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी, भले ही आगामी कालावधि में, पूर्व की कालावधि के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए। इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक दावा अवधि का पृथक से प्रमाण पत्र देना होगा।

7. प्रक्रिया –

(1) पात्र उद्यमों को निर्धारित प्रारूप में निम्नांकित दस्तावेजों (यथा स्थिति, जो लागू हो) जो कि वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा –

(क) ऋण स्वीकृति पत्र (सिर्फ पहले आवेदन के साथ), उसके पश्चात् स्वीकृति पत्र में संशोधन/परिवर्तन होने पर सबंधित क्लेम अवधि में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र।

(ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित क्लेम अवधि में/छः मास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रूप में ''ऋण न चुकाने वाला'' (Defaulter) नहीं है या यदि ऋण के भुगतान हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र। (**उपाबंध–1** अथवा **उपाबंध–2** पर)

(ग) संबंधित अवधि का बैंक स्टेटमेंट।

(घ) ऋण अधिग्रहणकर्ता वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिग्रहित ऋण के संबंध में ऋण स्वीकृति पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(ड.) जल पुनर्चक्रीकरण/हार्वेस्टिंग एवं शून्य निस्सरण की तकनीक की स्थापना के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी प्रमाण पत्र। (**उपाबंध–3** पर)

अपूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण में कमियों को एक साथ बताते हुए आवेदन प्राप्ति दिनांक से 10 कार्य दिवस के भीतर कमी पूर्ति हेतु वापस किये जायेंगे। इकाई द्वारा 15 कार्य दिवसों की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने पर अपूर्ण प्रकरण स्वमेव निरस्त मान्य होगा।

(2) औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत ब्याज अनुदान संबंधी आवेदन ऋण वितरण के प्रथम दिनांक के पश्चात छः माही आधार पर संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया प्रथम दावा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक/अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ऋण वितरण के प्रथम दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, की तिथि को चल रहे वित्तीय वर्ष की अवधि में 30 सितम्बर तक अथवा 31 मार्च तक (जो पहले हो) प्रस्तुत किया जावेगा। पश्चातवर्ती छःमाही दावा 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि हेतु एवं 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक की अवधि के होंगे।

अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि आवेदन के पूर्ण होने पर पूर्ण आवेदन पत्रों को उनके क्रम में स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही करें।

(3) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत दावों का नियमानुसार परीक्षण उपरांत निर्धारित प्रारूप में स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।

उपरोक्त से भिन्न उद्यमों के प्रकरणों में उद्योग संचालनालय स्तर के अधिकारियों से परीक्षण उपरांत अभिमत/अनुशंसा के आधार पर आयुक्त/संचालक,

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्णय लिया जावेगा एवं प्रकरण पूर्ण एवं नियमानुसार होने पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा तथा किसी विसंगति की स्थिति में संचालक उद्योग की अनुमति से इकाई का स्थल निरीक्षण किया जा सकेगा।

पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर अनुदान की पात्रता संबंधी निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा।

(4) पूर्व की औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत प्राप्त/लंबित आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया व अधिकार भी इन नियमों के अनुरूप होंगे।

(5) दावा के नियमानुसार न होने पर/अपूर्ण होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें दावा के निरस्तीकरण का कारण व अपील के प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(6) उद्योग संचालनालय द्वारा ब्याज अनुदान के बजट का आबंटन अनुदान स्वीकृति के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

(7) बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस./एनईएफटी प्रणाली अथवा तत्समय इकाई के सावधि ऋण खाते (टर्म लोन खाता) में सीधे अनुदान जमा करने की प्रणाली अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करना होगा। अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी। मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

(8) स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् ही अनुदान वितरण की कार्यवाही प्रारंभ होगी।

(9) बजट आबंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा, न ही अनुदान राशि पर ब्याज देय होगा। अनुदान राशि का भुगतान आगामी बजट आबंटन प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।

8. अनुदान की वसूली –

(1) ब्याज अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा हो जाने के पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई/बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए हैं, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि, 12.5 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज सहित, की वसूल की जा सकेगी।

(2) उपरोक्तानुसार राशि भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली जा सकेगी।

(3) स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि ब्याज अनुदान का दावा स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने अथवा किसी त्रुटिपूर्ण अभिलेख के आधार पर की गयी स्वीकृति आदेश निरस्त कर सके एवं यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

(4) औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में दावों की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में रोजगार नीति में निर्धारित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि में अनुदान की पात्रता नहीं होगी तथा अनुदान की राशि संबंधित दावा को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के दावों में समायोजित की जा सकेगी।

(5) यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक के वर्ग से संबंधित प्रमाण–पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि भू–राजस्व की तरह वसूली योग्य होगी अथवा भविष्य के दावों में समायोजित की जा सकेगी।

(6) उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये, तो उपरोक्तानुसार अनुदान निरस्ती एवं वसूली/समायोजन की जा सकेगी।

(7) यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो, तो उपरोक्तानुसार अनुदान निरस्ती एवं वसूली/समायोजन की जा सकेगी।

(8) उपर्युक्त के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/संशोधन/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

9. अपील–

(1) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरण में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय के समक्ष की जा सकेगी।

(2) मध्यम/वृहद उद्यमों के प्रकरण में उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय के द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपील भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के समक्ष की जा सकेगी ।

(3) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 2000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 5000 का भुगतान कर चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही अपील स्वीकार होगी।

परंतु अनुसूचित जाति/जनजाति, निःशक्त (दिव्यांग), तृतीय लिंग, राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति के द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2500 का भुगतान होगा।

(4) अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा दावा निरस्तीकरण अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा।

(5) अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

10. अनुदान पाप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व–

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने रू. 20 लाख वार्षिक से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक स्वप्रमाणित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे।

(2) औद्योगिक इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष अथवा अंतिम अनुदान स्वीकृति दिनांक तक, जो पश्चातवर्ती हो तक उत्पादनरत रहते हुए नीति में उल्लेखित प्रतिशत अनुसार अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष अथवा अंतिम अनुदान स्वीकृति दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो तक उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई सारवान परिर्वतन नहीं किया जावेगा। उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।

11. स्वप्रेरणा से निर्णय :–

राज्य शासन, भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा नियमानुसार उचित आदेश पारित कर सकेंगे, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा। स्वयं के निर्णय/आदेश की समीक्षा भी राज्य शासन, भारसाधक सचिव एवं उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग कर सकेंगे।

12. इन नियमों के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिये और आवेदन पत्र, निरीक्षण/परीक्षण प्रतिवेदन के प्ररूप में संशोधन हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे एवं अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा।

13. इन नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14. राज्य शासन द्वारा नीति में संशोधन किये जाने की स्थिति में उक्त संशोधन इन नियमों में यथास्थिति लागू होंगे।

15. इन नियमों के अलग–अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे। विभिन्न भाषाओं के संस्करण में किसी विवाद की स्थिति में हिन्दी संस्करण मान्य होगा।

16. इन नियमों के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

17. इन नियमों का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

उपाबंध–1

(नियम 7 देखें)

Certificate to be Furnished by the Financial Institution/Bank to Avail Interest Subsidy

(Claim Period from …………… to ………………)

It is certified that M/S …………………………………………….. (Name of unit) (Propreitor/Partner/Director/Authorised Signatory Name ……………………) having unit at ………………………………………. (Complete factory address) and bearing production certificate no. …………………………. have been sanctioned a term loan of Rs. ……………….. (in number) ……………………………………….. (in words) for the acquisition of fixed assets for *New unit/ Expansion/ Diversification/ Subtitution/ Modernisation of existing unit. The date of sanction of term loan is ………………….. @ annual rate of interest ………….. and the date of disbursement of loan stated with effect from ……………..... Further it is certified that the interest due and amount paid by the unit for the period …………….. to ……………….. are as below :

Month/Year	Instalment Due			Instalment Paid		
	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total

The unit has not defaulted in payment of his dues and the interest paid during the period so stated above does not include any penalty/charges/late fees. During the above claim period Subsidy/grant of Rs. …......... has been received in the accounts of unit maintained in this bank.

*Strike out whichever is not applicable.

Date:

Place:

Signature of Branch Manager & Seal of the
Financial Institution/Bank

उपाबंध–2

(नियम 7 देखें)

Certificate to be Furnished by the Financial Institution/Bank to Avail Interest Subsidy (Zero Waste incentive)

(Claim Period from …… to ……)

It is certified that M/S …… (Name of unit) (Propreitor/Partner/Director/Authorised Signatory Name ……) having unit at …… (Complete factory address) and bearing production certificate no. …… have been sanctioned a term loan of Rs. …… (in number) …… (in words) for installation of water recycling/harvesting and zero liquid discharge technology for *New unit/ Expansion/ Diversification/ Subtitution/ Modernisation of existing unit. The date of sanction of term loan is …… @ annual rate of interest …… and the date of disbursement of loan started with effect from …….... Further it is certified that the interest due and amount paid by the unit for the period …… to …… are as below :

Month/Year	Instalment Due			Instalment Paid		
	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total

The unit has not defaulted in payment of his dues and the interest paid during the period so stated above does not include any penalty/charges/late fees. During the above claim period Subsidy/grant of Rs. ……..... has been received in the accounts of unit maintained in this bank.

*Strike out whichever is not applicable.

Date:
Place:

Signature of Branch Manager & Seal of the
Financial Institution/Bank

उपाबंध–3

(नियम 7 देखें)

Certificate for Water Recycling/ Harvesting and Zero Waste

It is Certified that M/S..... .... (Name of unit) (Propreitor/Partner/Director/Authorised Signatory Name ……) having unit at …… …… (Complete factory address) has installed pollution control equipment of Rs. …….. (in number) …… …….. (in words) as detailed below for water recycling/ harvesting / zero liquid discharge.

S.N.	Waste water treatment equipments installed	Date of operationalization
Total amount in Rs.		

Signature of Regional Officer
Regional Office .....
Chhattisgarh Environment conservation Board

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.